

कार्यालय, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश

लखनऊ:दिनांक: 02.07. 2019

आवश्यक सूचना

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजो की सीटो पर प्रवेश हेतु अभ्यर्थियो को सूचित किया जाता है कि निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक मेडिकल कालेजो को उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 मे निहित प्राविधानो के अनुसार संस्था की फीस निर्धारण किये जाने का अधिकार प्राप्त है। अतएव अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये शुल्क संबंधी विवरण विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। अभ्यर्थियो से अपेक्षा है कि अल्पसंख्यक संस्थाओं मे प्रवेश के इच्छुक संस्थाओं की वेबसाइट एवं संस्था से स्वयं जानकारी प्राप्त कर ही च्वाइस फिल करे।

महानिदेशक